उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1338/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.234-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(297)-2023

लखनऊः दिनांकः 19 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है को ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रुप में अधिसूचित करती हैं, जो अधिसूचना संख्या-1143/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी0सी0 232-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(291)-2023 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 द्वारा धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्तियों (जिसे आगे "उक्त व्यक्ति" कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थात् :-

(i) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल की पूर्ति केवल तभी अनुज्ञात करेगा, यदि उक्त व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर नामाकंन संख्या का आबंटन किया गया हो ;

(ii) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल की किसी अंतर-राज्यिक पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा ;

(iii) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण नहीं करेगा ; और

(iv) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रुप से प्ररुप जीएसटीआर-8 में विवरण के रुप में प्रस्तुत करेगा ।

2. जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक प्लेटफार्म के माध्यम से माल की एकल पूर्ति में बहु इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अंर्तवर्लित हो, " इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक " से ऐसा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अभिप्रेत होगा जो अंतिम रुप से उक्त व्यक्ति को उसके माध्यम से उक्त व्यक्ति द्वारा की गई उक्त पूर्ति के लिए संदाय जारी करेगा ।

3. यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

19/10/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव